कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर

(शाखा – अनुवीक्षण/मूल्यांकन)

दूरभाष: 0771–2886425 ई मेल–ccfmecg@yahoo.in

क्रमांक/अनु./मूल्यांकन/41 रायपुर,दिनांक 30/01/2017

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,(क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषयः– **हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत Inter circle Monitoring की प्रक्रिया का निर्धारण।**

संदर्भः– **1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग.रायपुर का आदेश क्रमांक/08/दिनांक 27.05.2016**
2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनु./वि.का पत्र क्रमांक/अनु.एवं वि./3397 दिनांक 16.12.2016

––0––

विषयांतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशानुसार दिनांक 06.12.2016 को **PCCF Monitoring System** समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार हरियाली प्रसार योजना की **Monitoring, Inter circle Monitoring** प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है। अतः वन क्षेत्र में किये जा रहे वृक्षारोपणों के साथ–साथ कृषकों के जमीन पर हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपणों का **Inter circle Monitoring** , कर अपना प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में शीघ्र प्रस्तुत करें।

निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक वनमण्डल में वर्ष 2016 की वर्षा ऋतु में हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत निर्मित कुल वृक्षारोपणों का 20 प्रतिशत् एवं प्रत्येक वृक्षारोपण के 5 प्रतिशत रोपित पौधों की जांच एवं मूल्यांकन आपके अधिनस्थ राजपत्रित अधिकारियों से कराया जाकर प्रत्येक निरीक्षणकर्ता अधिकारी का जांच प्रतिवेदन आपके अभिमत के साथ निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगें। मूल्यांकन हेतु वनवृत्तों का आबंटन निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वृत्त जिसमें 2016 की वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण निर्मित हैं	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक जिनके द्वारा निरीक्षण किया जाना है (निरीक्षक अधिकारी)
1	2	3
01	रायपुर	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा
02	दुर्ग	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
03	कांकेर	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
04	जगदलपुर	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
05	बिलासपुर	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
06	सरगुजा	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर

उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 02 में दर्शित जिन वृत्तों में वृक्षारोपण किया गया है उनकी मूल्यांकन कॉलम क्रमांक 03 में दर्शाये क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक करायेगें।

वर्ष 2016 वर्षा ऋतु में निर्मित वृक्षारोपणों की वनमंडलवार सूची संबंधित वनमण्डलों से प्राप्त किया जावें। जांचकर्ता मुख्य वन संरक्षक वृक्षारोपणों की संख्या एवं रोपित क्षेत्रफल को देखते हुए प्रत्येक वृक्षारोपण को वेटेज (**Weightage**) देंगे। तदुपरान्त इस प्रकार सेम्पल निकाले जावे कि चयनित कुल सेम्पल कुल वृक्षारोपणों की संख्या तथा कुल रोपित क्षेत्रफल इन दोनों के लगभग 20 % (प्रतिशत) होते हैं। निरीक्षण हेतु चयनित किये जाने वाले वृक्षारोपणों का सेम्पल पी.पी.एस.(**Probability Proportion Size**) पद्धति से निकाला जावे। इस हेतु समस्त वृक्षारोपण की जानकारी निम्न दर्शित तालिका में अलग–अलग वनमंडलवार संकलित की जावे।

अ.क्र.	वृक्षारोपण का नाम एवं कक्ष क्रमांक आदि	रोपित क्षेत्र (हेक्टेयर)	क्यूमुलेटिव योग (हेक्टेयर / एकड़)

उपरोक्तानुसार जानकारी संकलित करने के उपरांत रेन्डम टेबल के माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्र निरीक्षण हेतु चयनित किये जायेंगे। इस टेबल में क्यूमुलेटिव योग की अंक संख्या के अनुसार नम्बर निकालने हेतु कालम चुना जाये। रेन्डम टेबल 1 से क्यूमुलेटिव योग की संख्या तक कुल रोपित क्षेत्रों की संख्या से 20 प्रतिशत तक अंक निकाले जावें। उपरोक्त अंक जिस वृक्षारोपण की परिधि में आता है उसे निरीक्षण हेतु चयनित किया जाये। उदाहरण के तौर पर उपरोक्त तालिका में जैसे कि अ. क्र. 1 से 30 तक 2016 वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया गया जिसके रोपित क्षेत्र का क्यूमुलेटिव योग 400 हेक्टेयर आता है। इस प्रकार उपरोक्त 30 वृक्षारोपण क्षेत्रों में से 20 प्रतिशत यानि 6 वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन रेन्डम टेबल में 1 से 400 बीच की संख्या छह अंकों की तालिका से चयन कर किया जायेगा।

मूल्यांकन निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा फरवरी माह में संपन्न किया जावेगा। मुख्य वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण हेतु चयनित वृक्षारोपण के विवरण एवं जांच अधिकारी के नाम आदि की जानकारी पृथक से चयन के पश्चात् इस कार्यालय को सूचित करेगें ।

मूल्यांकन प्रतिवेदन निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से संलग्न प्रपत्र में प्रविष्ट कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण / मूल्यांकन शाखा को अनिवार्य रूप से दिनांक 30.06.2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार :–

प्र.मु.व.सं.महोदय द्वारा अनुमोदित

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनु. / मूल्यांकन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक / अनु. / मूल्यांकन / 42 रायपुर,दिनांक 30 / 01 / 2017

प्रतिलिपि :

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनु.एवं विस्तार) की ओर सूचनार्थ ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनु. / मूल्यांकन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

हरियाली प्रसार योजना वर्षा ऋतु 2016 इंटर सर्किल मॉनिटरिंग

परिशिष्ट क्र.–02

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	वृक्षारोपण पर किया गया व्यय	कृषक/ हितग्राही का नाम	कृषक के पिता का नाम	जाति वर्ग	जी.पी.एस कोऑर्डिनेट	निरीक्षण की तिथि	KML File Upload किया है अथवा नहीं	निरीक्षणकर्ता समिति का विवरण	भूमि का खसंरा क्र. तथा भूमि का प्रकार	भूमि का रकबा	भूमि रकबा जिसमे रोपण किया गया (ha.)	मृदा का प्रकार	सिंचाई की सुविधा	रोपित/जीवित पौधों का विवरण					
																	प्रकार	प्रजाति	क्लोन क्र.	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवित प्रतिशत
																	साधारण					
																	क्लोनल					
																	ग्राफ्टेड फलदार					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

जीवित पौधे की हालत					पौधों में कीटनाशक/खाद का उपयोग			हितग्राही को दिया गया भुगतान		लंबित भुगतान का विवरण तथा कारण	वृक्षारोपण का विवरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज है?	हितग्राही के पुराने रोपणों की हालत पर टीप तथा प्राप्त आय का विवरण	रिमार्क
औसत ऊंचाई	रोग ग्रस्त	हालत	संख्या	ऊंचाई	कीटनाशक खाद का नाम	मात्रा प्रति पौधा	कब डाला गया	कार्य का विवरण	किया गया भुगतान				
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37